

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर

क्रमांक-एफ.7(0)ए.सी.आर./सा.न्या.अवि./2023/38694

जयपुर दिनांक- 16-06-2023

== परिपत्र ==

विभागीय आदेश क्रमांक-एफ1(7)(01)ए.सी.आर./सा.न्या.अवि./2018/5523 दिनांक 01.05.2018 का अतिक्रमण किया जाकर निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन में अलग-अलग पदों पर जिलास्तरीय कार्यालय में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु चैनल निर्धारित किया जाता है। यह चैनल वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी होगा। जिन अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा यह आदेश जारी होने से पूर्व एपीएआर भरकर प्रस्तुत कर दी गई है, उन्हें पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है-

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक /सहायक निदेशक, जिला परिदीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन (जो कार्यालयाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं)	जिला कलेक्टर	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन
2.	जिला परिदीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष के अतिरिक्त) परिदीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	(कार्यालयाध्यक्ष)/ जिलाधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन
3.	अधीक्षक, समस्त राजकीय गृह /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन (कार्यालयाध्यक्ष)	(कार्यालयाध्यक्ष)/ जिलाधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन
4.	परिदीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह / बालिका गृह/शिशु गृह	अधीक्षक/ कार्यालयाध्यक्ष, राजकीय गृह		
5.	संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी / दूरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक / निजी सहायक- I/II, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	कार्यालयाध्यक्ष	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन
6.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-I/II / केयर टेकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन			
7.	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम	कार्यालयाध्यक्ष		

Signature valid

Digitally signed by Secretary To Government
Date: 2023.06.16:55:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3915090



	/द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्य जन		मुख्य लेखाधिकारी /लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्य जन	विभाग
8.	शिशु रोग विशेषज्ञ/ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय शिशु /बालिका / किशोर / विमंदित गृह / महिला सदन	अधीक्षक, राजकीय गृह/कार्यालयाध्यक्ष	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
9.	सूचना सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्य जन	कार्यालयाध्यक्ष	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्यजन	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
10.	सूचना सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्य जन	कार्यालयाध्यक्ष	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /बाल अधिकारिता तथा विशेष योग्य जन	तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक-एफ 1() (एसीआर/सान्याअवि/2023/38695-108) जयपुर, दिनांक- 16-06-2023

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
 - शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र.) शासन सचिवालय, जयपुर।
 - निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
 - निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
 - अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग विशेष योग्यजन (प्रशाखा प्रभारी) जयपुर।
 - द्वितीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।
 - संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, समस्त राजकीय गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन,
 - संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/लेखाकार मुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
 - संस्थापन प्रशाखा (पी-1 से पी-5) मदनोत्सव प्रशाखा/जांच प्रशाखा मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - संबंधित श्री/श्रीमती.....उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन,
 - एनालिसट, कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
 - आदेश पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Samit Sharma
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.06.16:55:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3915090

